


रिपोर्ट पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक

मीमांसा जी,

मुताबिक इ.नं 84 प्राप्ती का नाम किरण पत्नी हरिशम
दर्ज है जबकि मुताबिक आद्याकार्ड प्राप्ती का नाम किरण अर्मा दर्ज
है। प्राप्ती नाम गृह में किरण की जगह किरण अर्मा ^{प.० हरिशम} दर्ज
पाएला है जो की उचित है। कृपया किरण का ०० हरिशम की जगह
किरण अर्मा का ०० हरिशम करने का आदेश है फरमाए।


पटवारी
Rajendra Singh

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी मुताबिक भू अभिलेख निरीक्षण के दौरान
किरण अर्मा का वप्राय किरण अर्मा किया जाना उचित है।

18/02/2022

आदेश

पत्रावली तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त होने पर भेजा है।
दर्ज की जावे। भू अभिलेख निरीक्षण के लिए मुताबिक पटवारी /
भू. मा. नि. / नायब तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्ती का नाम
किरण अर्मा के स्थान पर किरण अर्मा पत्नी के आदेश
दिने जाते है। पत्रावली निरीक्षण में सुझाव होकर ही भेजा जावे।
साक्षित इफ्तार है।

इकाई 3



133/2022
22/4/22

18/02/2022/120

उपरखण्ड अधिकारी